न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 24/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/29**

1. प्रीतम सिंह राणा पुत्र श्री रफलू निवासी गांव अनोह डाकखाना घमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

— अपीलान्ट

बनाम

01. गुरदेव सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 12 पी तहसील अनूपगढ़।
02. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 12 पी तहसील अनूपगढ़।
03. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 12 पी तहसील अनूपगढ़।
04. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भू–अभिलेख अनूपगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री मदन सुरोलिया
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 — श्री प्रेमनारायण हर्ष

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 27.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नंबर 138/54 में 24.10 बीघा रकबा पौंगबांध विस्थापित के आधार पर अपीलांट के पिता रफलू के नाम आवंटित थी। मूल आवंटी एवं अपीलांट के पिता रफलू का देहान्त दिनांक 11.07.1989 को हो गया। मूल आवंटी रफलू के देहान्त के पश्चात भजन कौर के नाम वसीयत के आधार पर तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 09.11.1984 के द्वारा इंतकाल संख्या 11 दर्ज किया गया। अपीलांट ने उपनिवेशन तहसीलदार श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 09.11.1984 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ ने अपील मे निर्णय करते हुए अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 27.02.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नंबर 138/54 में 24.10 बीघा रकबा पौंगबांध विस्थापित के आधार पर अपीलांट के पिता रफलू के नाम आवंटित थी। मूल आवंटी एवं अपीलांट के पिता रफलू का देहान्त दिनांक 11.07.1989 को हो गया। आवंटी रफलू के देहान्त के बाद आवंटी रफलू के कुल चार जायज वारिसान तीन पुत्र व एक पुत्री है। राजस्थान का वातावरण प्रतिकूल होने के कारण मूल आंवटी अपने जीवनकाल में यहां रहकर अपनी कृषि भूमि काश्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण मूल आवंटी रफलू ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपनी उक्त कृषि भूमि भजन कौर पत्नी दर्शन सिंह कम्बोज सिख से ठेका पर काश्त करवाने लग गया। उक्त वादगत भूमि की वसीयत दिनांक 20.07.1976 को भजन कौर ने अपने पक्ष में तैयार करवाकर रफलू के निधन के पश्चात अपने को उसका वारिस मानते हुए एवं इस तथाकथित वसीयत के आधार पर गैर खातेदारी अपने को रफलू का उत्तराधिकारी मानकर इंतकाल दर्ज करवा लिया है। जिस पर बिना जांच के उसके नाम इंतकाल दर्ज कर दिया गया जबकि रफलू के पुत्र पुत्रियों को नहीं सुना गया व ना ही नोटिस दिया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई की गई। यदि रफलू के वारिसान को नोटिस दिया जाता तो अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कृषि भूमि बाबत् समस्त तथ्य प्रस्तुत कर देता। मूल आवंटी ने भजन कौर के हक में कोई भी वसीयत उक्त कृषि भूमि के बाबत् नही की, जब उसके पुत्र पुत्रियों मौजूद थी तो परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को काई वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वसीयत फर्जी तैयार करवाई हुई। तत्कालीन उपनिवेशन विभाग के द्वारा दिनांक 09.10. 1984 को रिकॉर्ड में अमल दरामद करते हुए यह दर्ज किया गया है कि मूल आवंटी का देहान्त हो चुका हैं। विधिक वारिस भजन कौर के नाम से रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जाता है। जबकि भजन कौर मूल आवंटी से किसी प्रकार का खून का रिश्ता नहीं है। इंतकाल दर्ज किये जाने से पहले मृतक के वारिसान की स्पष्ट जानकारी रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। जिस समय वसीयत की गई उस समय उक्त भूमि गैर खातेदारी थी। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत कानूनन नही की जा सकती है। इस लिए उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 20.07.1976 का कानूनी महत्व नही है ना ही ऐसी गैर कानूनी वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जा सकता है। मूल आवंटी को आवंटित उक्त कृषि भूमि की खातेदारी सनद् नं. 34024 दिनांक 26.07.1988 माननीय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से जारी करवाई। जबकि पौंगबांध विस्थापितों की कृषि भूमि की खातेदारी भी पौगबांध विस्थापित नियामें के तहत जारी होनी चाहिए थी इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गोर किये बिना निर्णय करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनों आदेश दिनांक 27.05.2024 एवं इंतकाल नं 11 दिनांक 09.10.1984 निरस्त फरमाये जाकर मूल आवंटी रफलू के जायज कानूनी वारिसान के नाम अपीलाधीन कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि मियाद के आधार पर जो अपील खारिज की गई है, उस मियाद के बिन्दु पर अपील मियाद में माने जाने योग्य थी या नही। कानूनन भी इस अपील में मियाद के बिन्दू के अलावा और कुछ भी तय ही नही किया जा सकता। उक्त के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2012(1) पेज नंबर 332 का हवाला दिया। उपनिवेशन तहसीलदार राज न. यो. श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 09.10. 1984 के खिलाफ दिनांक 28.07.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो कि लगभग 38 साल बाद प्रस्तुत हुई। ऐसी स्थिति में लगभग चार दशक बाद प्रस्तुत अपील को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही ही खारिज किया हैं। अपीलार्थी द्वारा देरी का कोई भी युक्तियुक्त एवं ठोस कारण ही नही बताया है और ना ही लगभग 40 वर्षो की देरी को दिन ब दिन की देरी को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन नही किया है। इतनी लम्बी अवधि की मियाद को यदि माफ किया जाता है तो कानून के साथ ही भंयकर खिलवाड होगा जिसकी ईजाजत कानून में नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि अपीलांट 1984 के आदेश से किस प्रकार प्रभावित हैं यह भी अपील में नही लिखा है, अर्थात् पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही है। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि अपीलांट कानून रफलू का उत्तराधिकार संबंधित विवादित संपति मे हो एवं उसका वैद हित निहित हो। ऐसी स्थिति में भी अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को कोई अनुतोष श्रीमान जी ने न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। भजन कौर के पक्ष की गई वसीयत दिनांक 20.07.1976 की है और उक्त वसीयत को अपीलांट द्वारा कही पर भी चैलेंज नही किया गया हैं। जब तक वसीयत अस्तित्व में है, तब तक इस वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल को किसी भी स्थिति में निरस्त नही किया जा सकता हैं। आंवटी रफलू का उत्तराधिकारी अपने को होना बताता है लेकिन ना तो इस प्रकरण मे और ना ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील में रफलू के किसी भी वारिसान को पक्षकार बनाया है, ऐसी स्थिति में भी अपील काबिले खारिज हैं। अपीलांट जिस वसीयत को अपीलांट गैर खातेदारी भूमि होने की वसीयत बताता है, उक्त भूमि वसीयत के प्रभाव में आने से पूर्व खातेदारी दर्ज हो गई थी। इसी प्रकार भजन कौर द्वारा संबंधित भूमि को जरिये दान पत्र किया था, उस समय भी भजन कौर की भूमि खातेदारी दर्ज थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित भूमि गैर खातेदारी होने के कारण उसकी वसीयत ना की जा सकती हो। अपीलांट ने जानबूझकर सारे तथ्य छुपाये है एवं अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया है। अतः इस आधार पर अपीलांट श्रीमान जी के न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील स्पष्टतः मियाद बाहर एवं तमाम कानूनी त्रुटियों से परिपूर्ण है। अपीलांट प्रकरण में अपनी लोकस स्टेण्डाई तक साबित नहीं कर पाया है। अत'अपील अपीलांट मय खर्चा एवं हर्जा खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त वादगत भूमि का वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 11 दिनांक 09.10.1984 भजनकौर के नाम दर्ज कर दिया गया। मूल आवंटी रफलू की जीवित संतान होने के बावजूद एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होते हुए भी वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 11 दर्ज किया गया। मूल आवंटी रफलू के वारिसान को ना तो सुना गया व ना ही नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 27.02.2024 ने उक्त प्रकरण में अपीलांट की प्रथम अपील प्रार्थना—पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना—पत्र मियाद बिन्दू धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत् खारिज कर दी। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2024 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर